



पत्रांक..... /

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-

नोडल पदाधिकारी आर०टी०ई०, राँची।

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा डोरण्डा, राँची।

राँची, दिनांक..... /

विषय:- शारदा ग्लोबल स्कूल बुकरु कांके, राँची को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान हेतु प्राप्त आवेदन के अप्रसारण के संबंध में।

प्रसंग:- प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कांके का जाँच प्रतिवेदन स्थाप संख्या 173 दिनांक 12.06.2018।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शारदा ग्लोबल स्कूल बुकरु कांके, राँची से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालय को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन को अप्रैल कार्रवाई/ आदेश हेतु भवदीय सेवा में भेजी जाती है, जो अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों अन्तर्गत है-

1. विद्यालय एवं उससे संबंधित भूमि का सही-सही विवरण उपलब्ध कराने/ अभिलेख संचारण/ उसके नियन्त्रणकूल अथवा वैधानिक रूप से कय/ हस्तांतरण/ प्राप्ति की पूरी-पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय एवं उसकी सोसाईटी की है एवं होगी, अतएव यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई विवाद/ वाद/ माननीय न्यायालय वाद/ आपराधिक वाद उत्पन्न होता है तो विभाग/ सरकार/ जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। इसकी पूरी-पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति एवं उसकी सोसाईटी की होगी।

अनुलग्नक:- यथोक्त आवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन की मूल प्रति संलग्न।

विश्वासमाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
नोडल पदाधिकारी आर०टी०ई०, राँची जिला

ज्ञापक 534 / राँची, दिनांक 11/06/2018

- प्रतिलिपि:-**
1. शारदा ग्लोबल स्कूल बुकरु कांके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. आर०एस० एजुकेशन फाउण्डेशन, प्राणलि० 128/3 हाजरा रोड, भवानीपुर कोलकता को सूचनार्थ।



MANAGER
SHARDA GLOBAL SCHOOL

PRINCIPAL
SHARDA GLOBAL SCHOOL

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
नोडल पदाधिकारी, आर०टी०ई०, राँची जिला